केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांकः के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2024-25/191

दिनांकः 21/05/2024

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड-846003

विषयः- राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा, पटोरी, दरभंगा (बिहार) की वित्त समिति तथा प्रबन्ध समिति की बैठकें दिनांक 25.05.2024 (शनिवार) को अपराह्न 01:00 बजे से ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने हेतु अनुमति तथा बैठकों हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्यों को मनोनीत करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक 30/024-25 दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा महाविद्यालय वित्त समिति एवं प्रबन्ध समिति की बैठकें दिनांक 25.05.2024 (शनिवार) को अपराह्न 01:00 बजे से ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रबन्ध समिति की बैठक में भागग्रहण करने हेतु श्री आशीष कुमार, अनुभाग अधिकारी (आदर्श विभाग), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा वित्त समिति की बैठक में भागग्रहण करने हेतु श्री कृष्ण कुमार, वित्त सलाहकार (आदर्श विभाग), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली को नामित किया गया है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी महोदय की स्वीकृति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(प्रो. आर.जी. मुरली कृष्ण)
प्रभारी अधिकारी (आदर्श)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं यथासमय बैठक में सादर उपस्थिति हेतुः-

1. श्री आशीष कुमार, अनुभाग अधिकारी (आदर्श विभाग), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. श्री कृष्ण कुमार, वित्त सलाहकार (आदर्श विभाग), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली।

(प्रो. आर.जी. मुरली कृष्ण)
प्रभारी अधिकारी (आदर्श)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2023–24/988 दिनांक 29.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार–846003

विषयः–दिनांक 13.10.2023 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 182/023 दिनांक 13.10.2023 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र.सं.	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत 04.06.2023 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की सम्पुष्टि पर विचार ।** इस प्रसंग में प्राचार्य द्वारा समुपस्थित मान्य सदस्यों के समक्ष 04.06.2023 में लिए गए निर्णय तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त 19.06.2023 दिवसीय अनुमोदन पत्र (के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2023–24/331) को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही उक्त संबंध में किए गए कार्यान्वयन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई। विचारोपरान्त सर्वानुमति से सदस्यों द्वारा 04.06.2023 दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय के प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यान्वयन की संपुष्टि की गई ।	**नोट किया। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की टिप्पणी के अनुसार कार्यवाही करें।**
02	**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक CSU/Ad/Revised Scheme/2023-24/690 दिनांक 04.10.2023 के संबंध में विद्यापीठ कर्मियों द्वारा एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र (अंडरटेकिंग) की स्वीकृति पर विचार ।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है। **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक CSU/Ad/Revised Scheme/2023-24/690 दिनांक 04.10.2023 के संबंध में सविस्तार जानकारी दी गयी तथा Revised Scheme 2022 के विषय में सदस्यों के समक्ष विवरण दिया गया । मुख्यालय से प्रेषित शपथ पत्र पर विद्यापीठ के समस्त कर्मचारियों द्वारा कृत हस्ताक्षर एवं प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र को समिति के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विचारोपरान्त सर्वानुमति से समिति के सभी सदस्यों द्वारा नयी योजना 2022 एवं हस्ताक्षरित शपथ पत्र को स्वीकृति प्रदान की जाती है । इसके लिए कुलपति, केन्द्रीय	**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र कमांक CSU/Ad/ Revised Scheme/2023-24/690 दिनांक 04.10.2023 एवं CSU/Ad/ Revised Scheme/2023-24/726 दिनांक 06.10.2023 में दिये निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों**

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रति सदस्यों द्वारा हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है । साथ ही उपर्युक्त स्वीकृति को वित्त समिति प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है ।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सीएसयू द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**द्वारा हस्ताक्षरित MoU केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।**
03	**वित्तीय वर्ष 2023–24 के उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्वीकृति पर विचार ।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है। **वित्त समिति का निर्णय** "प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022 – 23 का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार उपयोगिता प्रमाण पत्र रखा गया तथा आय – व्ययक विवरण सदस्यों के समक्ष पढ़ कर सुनाया गया। प्राचार्य ने सदस्यों को बताया कि कार्यालयीय पत्रांक 93/23 दिनांक 19.07.2023 द्वारा ASM नयी दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है । *विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सीएसयू द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**वित्तीय वर्ष 2023–24 की उपयोगिता प्रमाणपत्र की जांच प्रकियाधीन है कोई विसंगति पाये जाने पर सूचित किया जाएगा।**
04	**वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित बजट की स्वीकृति पर विचार ।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है। **वित्त समिति का निर्णय** "एतत् प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राचार्य ने समिति के समक्ष कार्यालय द्वारा तैयार संशोधित बजट 2023–24 को पढ़ कर सुनाया। जिसमें आवर्त्ती – अनावर्ती मदों का कुल योग 1,89,21,350 (एक करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार तीन सौ पचास) रुपये है, को वित्त समिति प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सीएसयू द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट की स्वीकृति पृथकतया दी जाएगी।**
05	**डॉ. त्रिलोक नाथ झा, सहायक प्रोफेसर(साहित्य) एवं डॉ. भूपेन्द्र नारायण झा, सहायक प्रोफेसर(ज्योतिष) द्वारा प्राप्त 09.10.2023 दिवसीय पत्र पर विचार ।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है। **वित्त समिति का निर्णय** "एतत् प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा समिति के समक्ष उक्त शिक्षकों द्वारा प्रभारी आदर्श सीएसयू के नाम प्राप्त पत्र को पढ़ कर सुनाया गया। पत्र में उक्त दोनों शिक्षकों द्वारा अनुलग्नक ग एवं घ के आधार पर 01.09.2008 से पाँच अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण करने की प्रार्थना की है। जबकि सीएसयू के पत्रांक RSKS/Ad/Pay Fixation/2019-20/653 दिनांक 16.10.2019 द्वारा चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए 22.12.2007 को	**नियुक्ति से पूर्व प्राप्त की गयी पी. एच.डी उपाधि के एवज में अतिरिक्त वेतन वृद्धि नियुक्त के समय लागू यू.जी.सी नियमावली के अनुसार ही देय है। अतः नियमानुसार 01.09.2008 से पूर्व नियुक्ति**

	24,200 मूल वेतन निर्धारित किया गया है। विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ज्ञापांक 15/एम 1 – 218/98 (अंश 2)–908 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार उक्त शिक्षकों को 01.09.2008 से पाँच अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सीएसयू द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**सहायकाचार्य को पी.एच.डी धारण करने हेतु पांच अतिरिक्त वेतन वृद्धि नही दी जा सकती है।**

भवदीय,

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/1174 दिनांक 02.02.2023

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 10.01.2023 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 17/023 दिनांक 12.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2023 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र. सं.	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत 26.11.2022 दिवसीय संपन्न बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की सम्पुष्टि पर विचार।** इस प्रसंग में प्राचार्य द्वारा समुपस्थित मान्य सदस्यों के समक्ष 26/11/2022 में लिए गए निर्णय तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त 06/01/2023 दिवसीय अनुमोदन पत्र (के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/1012) को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही उक्त संबंध में किए गए कार्यान्वयन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई। विचारोपरान्त सर्वानुमति से सदस्यों द्वारा 26/11/2022 दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय के प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यान्वयन की संपुष्टि की गई	**नोट किया। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की टिप्पणी के अनुसार कार्यवाही करें।**
02	**एल.पी.ए. संख्या 823/2018, 1654/18 एवं 1322/2019 माननीय उच्च न्यायालय, पटना (बिहार) के 06.12.2022 दिवसीय आदेश से उत्पन्न स्थिति पर विचार।** इस प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि श्री अर्जुन चौधरी (पूर्व प्रधानाचार्य) सरकारी राशि का गबन करने, अपने कार्यकाल 1984 से 2021 तक (जून 2021) का विद्यापीठ कार्यालय का सारा अभिलेख फाइल आदि अपने ही पास रखने (तत्कालिक प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. जवाहरलाल चौधरी को सुपुर्द ना करने) तथा प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग करने के आरोप में 05/12/2003 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक के निर्णय के आलोक में 09/12/2003 दिवसीय अध्यक्ष के पत्र द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिए गए थे । ज्ञात हो कि श्री अर्जुन चौधरी जी उक्त सेवा बर्खास्तगी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना (बिहार) में रिट याचिका संख्या 11909/07 दायर किया था । उक्त दायर याचिका के संबंध में	

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	03/04/2018 को न्यायालय द्वारा आदेश किया गया । प्राचार्य ने उक्त 03/04/2018 दिवसीय न्यायालय के आदेश को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । पुनः प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि 03/04/2018 दिवसीय पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध श्री अर्जुन चौधरी द्वारा एल.पी.ए. संख्या 823/18 दायर किया गया था और उसके पश्चात संदर्भाधीन विषयानुसार "राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली" द्वारा 1654/18 एवं प्रबंध समिति द्वारा 1322/19 एल.पी.ए. दायर किया गया था । इस प्रकार उपर्युक्त तीनों ही एल.पी.ए. के प्रसंग में 06/12/2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय आदेश प्राप्त हुआ है और मुख्यतया इस विषय को लेकर ही प्रबंध समिति की प्रकृत बैठक आहूत की गई है। प्राचार्य ने पटना हाई कोर्ट का उक्त दिवसीय निर्णय की कॉपी समिति के समक्ष उपस्थापित की तथा पढ़कर सुनाया । फलतः गंभीर विचारोपरांत सर्वानुमति से प्रबंध समिति श्री अर्जुन चौधरी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में यथोचित कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष (प्रबंध समिति) को अधिकृत करती है। आवश्यकतानुसार जाँच पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नांकित नामों में से किसी एक के द्वारा जाँच करवाने हेतु भी समिति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान करती है । **क्र. सं. नाम पद पता** **01.** प्रो. विनय कुमार पांडे पूर्व अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी (ज्योतिष धर्मागम विज्ञानं संकाय) **02.** प्रो. डॉ. रामनारायण द्विवेदी अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी (व्याकरण धर्मागम विज्ञानं संकाय) **03.** प्रो. डॉ. बौवानन्द झा अध्यक्ष (दर्शन) के.एस.डी.एस.यू. दरभंगा	**सभी सदस्यों से सम्पर्क कर अनुकूलता के अनुरूप सदस्य को अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति के द्वारा नामित किया जाय।**
03	**वित्तीय वर्ष 2022–23 की उपयोगिता प्रमाण पत्र "राजीव आर. मिश्रा एंड को." (चार्टर्ड अकाउंटेंट) बलभद्रपुर, लहेरियासराय द्वारा तैयार कराने हेतु स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यापीठ कार्यालय का वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनवाना है और इस कार्य के लिए "राजीव आर. मिश्रा एंड को." (चार्टर्ड अकाउंटेंट) बलभद्रपुर, लहेरियासराय को अध्यक्ष से परामर्श कर प्रस्तावित किया गया है । विचारोपरान्त सर्वानुमति से समिति उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्र 2022–23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करती है।	**प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार अनुमोदित।**
04	**अन्यान्य – प्रबंधन के आदेश से FIR No- 26/2006 एवं 05/2007 में लहेरियासराय कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता की स्वीकृति पर विचार।** इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश के उपरान्त	**प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकती है।** **महाविद्यालय से संबंधित वाद हेतु**

	तत्कालिक अध्यक्ष के आदेश से श्री अर्जुन चौधरी पिता स्व. सरयुग प्रसाद चौधरी के विरुद्ध बिशनपुर थाना (दरभंगा) में 26/2006 (राशि 50,000/–) एवं 05/2007 (राशि 6,04,833-05) केस (FIR) दर्ज कराया गया था। फिलहाल उक्त केस का ट्रायल लगभग अंतिम पड़ाव पर है। विद्यापीठ प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता श्री सियाराम चौधरी केस में पैरवी कर रहे हैं। विचारोपरान्त सर्वानुमति से उपर्युक्त वाद में यथोचित पैरवी हेतु श्री सियाराम चौधरी को अधिकृत करती है।	**अधिवक्ता को सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जा सकता है।**

भवदीय,

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/1012 दिनांक 06.01.2022

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 26.11.2022 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 206/2022 दिनांक 01.12.2022 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2022 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र.सं.	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत 02/08/2022 दिवसीय संपन्न बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की सम्पुष्टि पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 01 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "एतद् प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि 02/08/2022 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन सी.एस.यू. नई दिल्ली के 10/10/2022 दिवसीय पत्रांक संख्या के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/ 2022–23/722 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्राप्त अनुमोदन पत्र में सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा प्राप्त टिप्पणी के आलोक में यथासमय उचित रूप से कुछ प्रस्ताव का क्रियान्वयन कर दिया गया है तथा तदतिरिक्त पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। विचारोपरान्त वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से 02/08/2022 दिवसीय बैठक में लिए निर्णय पर मुख्यालय द्वारा प्राप्त टिप्पणी के आलोक में प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यान्वयन एवं किया जाने वाला कार्यान्वयन की सम्पुष्टि प्रदान की जाती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	नोट किया। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की टिप्पणी के अनुसार कार्यवाही करें।
02	के.सं.वि. नई दिल्ली के पत्रांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी/35011/राजकुमारी/2022–23/797 दिनांक 03.11.2022 के पत्र पर विचार। एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 02का निर्णय इस प्रकार है–	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के पत्र कमांक के.सं. वि./ आदर्श/एम.सी.

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	वित्त समिति का निर्णय "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य जी ने बैठक में ऑफलाइन/ऑनलाइन उपस्थित सदस्यों के समक्ष के.सं.वि. नई दिल्ली के पत्रांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/797 दिनांक 03/11/2022 से संबंधित पत्र पढ़ कर सुनाया। उक्त पत्र में कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु पुनः परीक्षा अथवा पुनः विज्ञापन का आदेश प्राप्त है। इस प्रकार प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा प्रकृत विषय में गम्भीरतापूर्वक समीक्षा करते हुए सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित प्रथम पक्ष यानि पुनः परीक्षा करवाई जाय। इस कार्य को सम्पादित करने हेतु समिति अध्यक्ष जी तथा प्राचार्य को अधिकृत करती है तथा के.सं.वि. नई दिल्ली से अनुमोदन के लिए अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	/35011/राजकुमारी/2022–23/797 दिनांक 03.11.2022 के साथ संलग्न सोपान के अनुरूप परीक्षा संचालित की जाय तदर्थ परीक्षा पत्र निर्माण एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हेतु माननीय कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को विनती पत्र भेजा जाए।
03	**विद्यापीठ में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पदों पर आरक्षण रोस्टर पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 03का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि विद्यापीठ में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शैक्षिक एवं तदितर पदों की स्थिति निम्न प्रकार है – क्र. पद सं विषय 1. प्राचार्य 01 ——— 2. व्याख्याता 02 व्याकरण 3. व्याख्याता 02 ज्योतिष 4. व्याख्याता 02 साहित्य 5. पी.जी.टी. 01 संस्कृत 6. पी.जी.टी. 01 अंग्रेजी 7. पी.जी.टी. 01 हिन्दी 8. पी.जी.टी. 01 राजनीतिशास्त्र 9. कार्यालय सहायक 01 ——— 10. एल.डी.सी. 01 ——— 11. चपरासी 02 ——— इस प्रकार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में प्राचार्य ने सदस्यों को मंत्रालय का पत्र भी पढ़कर सुनाया। विचारोपरान्त प्रकृत संदर्भ में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष जी तथा प्राचार्य इस संबंध में नियमानुकूल आरक्षण रोस्टर को तैयार करने हेतु अधिकृत किये जाते हैं तथा समिति सर्वानुमति से सी.एस.यू. द्वारा इस विषय में अनुमोदन हेतु संस्तुति करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	आरक्षण हेतु रोस्टर का निर्माण एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से करवाना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में समिति के सदस्य के रूप में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विशेषज्ञ नामित किया जाएगा।

04	**डॉ विद्यापीठ में डिजिटल उपस्थिति पद्धति लागू किए जाने पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 01का निर्णय इस प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** "प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा शैक्षिक समिति के उपस्थित सदस्यों के समक्ष सी.एस.यू. नई दिल्ली के 23/08/2022 दिवसीय अधिसूचना पत्र को पढ़कर सुनाया। पत्र का विषय विद्यापीठ में डिजिटल उपस्थिति की व्यवस्था करने से संबंधित है। इस विषय में समिति सी.एस.यू. के आदर्श विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना पत्र के आलोक में कार्य सम्पादनार्थ प्राचार्य को अधिकृत करती है।" **उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें।
05	**आउटसोर्स के तहत काम कर रहे कार्यालय सहायक एवं एलका .सी.डी. मानदेय बढ़ाए जाने पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 04का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा वित्त समिति के सदस्यों को बताया गया कि अभी वर्तमान में इस विद्यापीठ में स्वीकृत कार्यालय सहायक एवं एल.डी.सी. के पद पर दोनों ही कर्मी आउटसोर्स के तहत कार्य का निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2016 से ही एल.डी.सी. के पद पर आउटसोर्स के तहत 13220 रू. दिये जा रहे हैं। बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 5/एम. डब्लू–40–16/2021/श्र.सं.–993 दिनांक 30/03/2022 द्वारा अतिकुशल कर्मी को 492 रू. दैनिक दर से 15252 रू. देयराशि होती है। चुँकि कार्यालय सहायक के पद पर आउटसोर्स के तहत देय राशि के विषय में अन्य कोई आधार न होने के कारण कम से कम 2000 (दो हजार) रूपये एल.डी. सी. से अधिक करने से वर्तमान में कार्यालय सहायक के पद पर आउटसोर्स कर्मी को दी जाने वाली मानदेय राशि 15040 में 2000 का योग कर देने पर 17040 रूपये मानदेय राशि होती है। प्रकृत प्रसंग में वित्त समिति सर्वानुमति से आउटसोर्स के तहत कार्य कर रहे कार्यालय सहायक को 17040 एवं एल.डी.सी. को 15252 रू की स्वीकृति हेतु प्रबंध समिति से संस्तुति करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर कामगारों की कोटि के अनुसार ही भुगतान किया जा सकता है।
06	**विद्यापीठ में सीद्वारा स्थायी परीक्षा सम्बद्धता पर विचार। .यू.एस.** एतद् प्रस्ताव के संबंध में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 02का निर्णय इस प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** "प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय में स्थायी परीक्षा सम्बद्धता हेतु शैक्षिक समिति के समक्ष प्राचार्य ने बताया कि 1984 से ही	स्थायी सम्बद्धता हेतु पृथक प्रस्ताव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करें।

	इस विद्यापीठ की परीक्षा सम्बन्धन सी.एस.यू. नई दिल्ली है। अब इस विद्यापीठ का स्थायी परीक्षा सम्बन्धन सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा होनी चाहिए। विचारोपरान्त सर्वानुमति से शैक्षिक समिति प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।	

भवदीय,

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/722 दिनांक 10.10.2022

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 02.08.2022 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 158/022 दिनांक 08.08.2022 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र. सं.	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत 06/04/2022 दिवसीय संपन्न बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की सम्पुष्टि पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 01 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"एतद् प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि 06/04/2022 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा कल ही यानि 01/08/2022 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त अनुमोदन पत्र में सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा प्राप्त टिप्पणी के आलोक में यथासमय उचित रूप से कुछ प्रस्ताव का क्रियान्वयन कर दिया गया है तथा तदतिरिक्त पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। विचारोपरान्त वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से 06/04/2022 दिवसीय बैठक में लिए निर्णय पर मुख्यालय द्वारा प्राप्त टिप्पणी के आलोक में प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यान्वयन एवं किया जाने वाला कार्यान्वयन की सम्पुष्टि प्रदान की जाती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	नोट किया।
02	**शैक्षिक सत्र 2022–23 में अतिथि शिक्षकों एवं कंप्यूटर शिक्षक को रखे जाने पर विचार।**	

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	एतद् प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि फिलहाल इस विद्यापीठ में स्वीकृत सहायकाचार्यों का तीन पद रिक्त है एवं पी.जी.टी. (संस्कृत) का एक पद रिक्त है। इन पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु कार्यालयीय पत्रांक 25/22 दिनांक 31/01/2022 द्वारा विज्ञापनप्रारूप स्वीकृत्यर्थ आदर्श विभाग, सी.एस.यू. नई दिल्ली को प्रेषित है। उक्त दिशा में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्राचार्य ने यह भी बताया कि वर्ष 2017 में यू.जी.सी. के मानक के आलोक में अतिथि शिक्षक विषय–व्याकरण में एक पद हेतु तथा अतिथि शिक्षक विषय–साहित्य में एक पद हेतु विज्ञापन मुख्यालय द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में विधिवत् चयन समिति का गठन हुआ था और उस गठित चयन समिति द्वारा व्याकरण के पद डॉ. रमाकान्त कुमार, अतिथि शिक्षक एवं साहित्य में डॉ. बालकृष्ण शर्मा, अतिथि शिक्षक को चयनित किया गया था। तब से उक्त दोनों नामित व्यक्तियों से प्रति वर्ष उनके कार्य कौशल के आधार पर सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृति मिलने के पश्चात् सेवा ली जा रही है। इसी प्रकार दिसंबर 2018 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए विधिवत् प्रक्रिया के तहत् श्री ब्रजेश कुमार चौधरी की व्यवस्था की गई थी। विदित हो कि शैक्षिक सत्र 2022–23 के लिए भी सी.एस.यू. नई दिल्ली के पत्रांक CSU/Adarsh/PTL/2022-23/387 दिनांक 04/07/2022 द्वारा अतिथि शिक्षक – व्याकरण – एक, साहित्य–एक एवं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर – एक के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई। प्राचार्य ने यह भी बताया कि उपर नामित शिक्षकों की विगत वर्ष की सेवा एवं उनका आचरण प्रशंसनीय रहा है। इस विषय में प्राचार्य द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त प्रतिवेदन को भी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारोपरान्त प्रबंध समिति सर्वानुमति से शैक्षिक सत्र 2022–23 में जब तक उक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक अतिथि शिक्षक के रूप में पद — विषय — नाम 1. अतिथि शिक्षक — व्याकरण — डॉ.रमाकान्त कुमार 2. अतिथि शिक्षक — साहित्य — डॉ. बालकृष्ण शर्मा 3. कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर — — श्री ब्रजेश कुमार चौधरी उपर्युक्त नामित अतिथि शिक्षकों को रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करती है।	महाविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति नियमानुसार कार्यवाही करें।
03	सत्र 2022–23 में आउटसोर्स के तहत कार्यालय सहायक, एल.डी.सी. एवं चपरासी के पद पर रखे गए कर्मियों की स्वीकृति पर विचार। इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस विद्यापीठ में तृतीय श्रेणी में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत दो पद (कार्यालय सहायक एवं एल.डी.सी.) है। दोनों ही पदों पर कार्यरत कर्मी पूर्व में सेवानिवृत हो चुके हैं। इसी प्रकार	नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुमोदित।

	चतुर्थ श्रेणी में दो चपरासी का पद मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। उसमें भी एक कर्मी 2020 में सेवानिवृत हो चुके हैं। फिलहाल तृतीय वर्ग में दोनों ही स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स के तहत कर्मी काम कर रहे हैं। इस प्रसंग में प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष 11 महीनों के लिए आउटसोर्स के तहत स्वीकृति दी जाती है। वर्ष 2022–23 के लिए सी.एस.यू. नई दिल्ली के पत्रांक CSU/Adarsh/PTL/2022-23/459 दिनांक 22/07/2022 द्वारा कार्यालय सहायक, एल.डी.सी. एवं चपरासी के पद पर आउटसोर्स के तहत 11 महीनों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा इस संबंध में प्रक्रिया के तहत 25/07/2022 से कार्यालय सहायक के पद पर श्री अमितेश कुमार चौधरी, एल.डी.सी. के पद पर श्री साकेत बिहारी चौधरी एवं चपरासी के पद पर श्री रामशंकर चौधरी कार्य कर रहे हैं। विचारोपरान्त प्रबंध समिति सर्वानुमति से उपर्युक्त प्रसंग में अध्यक्ष महोदय तथा प्राचार्य द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान करती है।	
04	डॉ. बजेश कुमार, पी.जी.टी (अग्रेजी) को प्रथम एम.ए.सी.पी के तहत प्रोन्नत करने हेतु समीक्षा समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की स्वीकृति पर विचार। एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 02 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने वित्त समिति के सदस्यों को बताया कि डॉ. ब्रजेश कुमार इस विद्यापीठ में 01/03/2012 से पी.जी.टी. (अंग्रेजी) के पद पर 9300–34800 ग्रेड पे 4800 के वेतन नियमानुसार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर इन्हें प्रथम एम.ए.सी.पी. के तहत ग्रेड पे 5400 का लाभ मिलना है। इस संबंध में 15/03/2022 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा निर्णय लिया गया था। उस के बाद सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा समीक्षा समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् 05/05/2022 को मुख्यालय दिल्ली में समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति ने अपने प्रतिवेदन में डॉ. ब्रजेश कुमारए पी.जी.टी. (अंग्रेजी) को 01/03/2022 पी.बी. –9300–34800 + 5400 ग्रेड पे (छठा सी.पी.सी.) के तहत स्वीकृति हेतु अनुशंसा की है। प्राचार्य द्वारा समीक्षा प्रतिवेदन भी समिति के पटल पर रखा गया। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सदस्य (आदर्श) ने प्राचार्य को यह भी निर्देशित किया कि 01/03/2022 से एरियर राशि भी तैयार कर मुख्यालय भेजा जाय। विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से उक्त समीक्षा प्रतिवेदन में अनुशंसित 5400 ग्रेड पे की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबंध समिति से अपनी अनुशंसा करती है।"* उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।	एम.ए.सी.पी समिति की अनुशंसानुसार प्रबन्ध समिति का निर्णय अनुमोदित।

05	**शैक्षिक सत्र 2022-23 में पर्यावरण शिक्षक को रखने हेतु विज्ञापन करवाने के स्वीकृति पर विचार।** इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने प्रबंध समिति के सदस्यों को बताया कि शैक्षिक सत्र 2022–23 में पर्यावरण शिक्षक (अधिकतम 50 घंटी – 1500 रूपये प्रति घंटी) को रखने हेतु मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त पर्यावरण शिक्षक को रखने के लिए चयन की प्रक्रिया अनिवार्य है। इस संबंध में विचारोपरान्त प्रबंध समिति सर्वानुमति से अध्यक्ष एवं प्राचार्य को लोकल विज्ञापन के माध्यम से पर्यावरण शिक्षक की व्यवस्था करने हेतु अधिकृत करती है।	प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार एवं नियमानुसार व्यवस्थित किया जाए।
06	**विद्यापीठ में कार्य कर रहे दो दैनिक कर्मियों को बिहार सरकार के अनुसार 01/04/2022 से दैनिक राशि बढ़ाये जाने की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 03 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"इस प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों को बताया गया कि प्रारंभ (1985) से ही इस विद्यापीठ में दो चपरासी का पद स्वीकृत है। सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा दो दैनिक पारिश्रमिक कर्मी की स्वीकृति प्राप्त है। प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से दैनिक पारिश्रमिक राशि की वृद्धि के आधार पर इस विद्यापीठ के दोनों दैनिक कर्मियों को सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात् दैनिक पारिश्रमिक राशि बढ़ाई जाती रही है। बिहार सरकार के सं.–5/एम. डब्लू–40–16/2021 श्र.सं.–9921 दिनांक 30/03/2022 द्वारा 318/–(तीन सौ अठारह) रूपये अकुशल कर्मियों को दैनिक पारिश्रमिक प्राप्तव्य है। इस प्रकार विचारोपरान्त समिति सर्वानुमति से पूर्व की भांति 01/04/2022 से दैनिक कर्मियों को 318/–(तीन सौ अठारह) रूपये दैनिक पारिश्रमिक के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा करती है। हालांकि प्रस्तुत विषय में सी. एस.यू. के अधिकारी प्रतिनिधि सदस्य ने सुझाव दिया कि दैनिक कर्मी को भी आउटसोर्स के तहत ही रखा जाय। इस संबंध में वित्त समिति सर्वानुमति से सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा जैसा आदेश दिया जाएगा उसका अनुपालन हेतु प्रबंध समिति से अनुशंसा करती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पारिश्रामिक के अनुसार एवं आदर्श नियमावली–2012 के अनुरूप आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाए।
07	**पुस्कतालय में पुस्तकों के रखरखाव हेतु पुस्कतालय सहायक या तत्समकक्ष कर्मचारी को रखने हेतु स्वीकृति पर विचार।** इस प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों को बताया गया कि विद्यापीठ में तृतीयवर्ग (एल.डी.सी. एवं यू.डी.सी.) में मात्र दो पद स्वीकृत है तथा उन दोनों पदों पर भी आउटसोर्स के तहत कर्मी से सेवा ली जा रही है। पुस्तकालय	

	में पुस्तकों के रख–रखाव हेतु पुस्तकालय सहायक की अत्यंत आवश्यकता है। अभी फिलहाल विवशतावशात् डॉ. भूपेन्द्र नारायण झा, सहायक प्रोफेसर (ज्योतिष) से अंशतः सेवा ली जा रही है। प्राचार्य ने समिति को यह भी बताया कि इस विद्यापीठ में पुस्तकालय सहायक का पद स्वीकृत नहीं है। आदर्श महाविद्यालय निर्देश पंजी 2012 (योजना की कण्डिका 35.2A) में एक लाइब्रेरियन पद का प्रावधान है तथा एक लाइब्रेरी अटेंडेंट पद का प्रावधान है। उपर्युक्त प्रसंग में विचारोपरान्त प्रबंध समिति सर्वानुमति से उपर्युक्त दोनों पदो के लिए स्थायी/अस्थायी दोनों में से किसी के लिए भी सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपनी संस्तुति करती है।	प्रस्ताव पर नयी आदर्श योजना नियमावली–2022 की स्वीकृति के उपरान्त विचार किया जायेगा।
08	**वित्तीय वर्ष 2021-22 का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 04 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा समिति के मान्य सदस्यों को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 का उपयोगिता प्रमाण पत्र आय–व्यय तैयार कर आदर्श अनुभाग, सी.एस.यू. नई दिल्ली को कार्यालयीय पत्रांक 133/2022 दिनांक 05/07/2022 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रसंग में प्राचार्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021/22 के लिए सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा निर्गत 1,54,56,259 (एक करोड़ चौवन लाख छप्पन हजार दो सौ उनसठ रूपये) मात्र राशि का बिन्दुवार पढ़कर सदस्यों को सुनाया गया। विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से वित्तीय वर्ष 2021–22 के उपयोगिता प्रमाण पत्र आय–व्यय को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबंध समिति से अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	वित्तीय वर्ष 2021–22 की ऑडिट रिपोर्ट की जांच प्रकियाधीन है कोई विसगंति पाये जाने पर सूचित किया जाएगा।
09	**(क) 06/04/2022 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 05 पर समिति का पुनः प्रस्ताव तथा आग्रह।** 06/04/2022 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 05 के संबंध में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि 06/04/2022 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक में कार्यालय सहायक के पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन से लेकर मेधासूची तक समस्त की गई प्रक्रिया से संबंधित कार्यावाही की फाइल का विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सदस्यों ने अवलोकित किया था। प्राचार्य जी ने प्रबंध समिति के सदस्यों को यह भी बताया कि विज्ञापन का प्रारूप सी.एस.यू. नई दिल्ली के पत्रांक के.सं.वि./आदर्श/नियुक्ति/राजकुमारी/2020–21/888 दिनांक 30/03/2021 द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा स्वीकृत	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्णय पृथक रूप से प्रदान किया जाएगा।

	विज्ञापन प्रारूप के आलोक में ही नियुक्ति संबंधी सारी प्रक्रिया संपन्न हुई है। अतः प्रबंध समिति सर्वानुमति से विद्यापीठ के कार्यहित को ध्यान में रखते हुए 25/01/2022 दिवसीय मेधासूची में प्रथम नामित व्यक्ति की नियुक्ति हेतु पुनः अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तथा कुलपति महोदय, के.सं.वि. नई दिल्ली से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करती है। जिससे विद्यापीठ का कार्यालयीय कार्य निर्बाध रूप से निष्पादित हो सके।	
	(ख) सहायक प्रोफेसरों को ग्रेड पे 8000 से 9000 में प्रोन्नत करने हेतु के.सं.वि. नई दिल्ली द्वारा गठित समितियों की स्वीकृति पर विचार। इस प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य जी ने प्रबंध समिति के सदस्यों को बताया कि निम्नांकित – (क) डॉ. त्रिलोक नाथ झा – सहायक प्रोफेसर (साहित्य) (ख) डॉ. भूपेन्द्र नारायण झा – सहायक प्रोफेसर (ज्योतिष) (ग) डॉ. विंध्यनाथ मिश्र – सहायक प्रोफेसर (ज्योतिष) सेवा दिसंबर 2021 में 14 वर्षों की हो चुकी है। अतः 06/04/2022 दिवसीय बैठक में उपर्युक्त शिक्षकों को ग्रेड पे 8000 से 9000 का ग्रेड पे लाभ देने हेतु निर्णय लिया गया था। प्राचार्य ने बताया कि उक्त संदर्भ में उपर्युक्त नामित सहायक प्रोफेसरों को ग्रेड पे 9000 का लाभ देने हेतु सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा समिति गठित कर दी गई है। प्राचार्य ने 06/04/2022 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 के आलोक में सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा गठित समिति जो संलग्नक 01 पर दिया गया है को पढ़कर सदस्यों को सुनाया। इस प्रकार संलग्नक 01 पर नामित स्क्रीनिंग एवं इवैल्यूएशन कमिटी के गठन को प्रबंध समिति विचारोपरान्त सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करती है।	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा गठित छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति (Screeing Cum Evaluation Committee) तथा चयन समिति द्वारा कार्य का सम्पादन कराते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

भवदीय

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
निदेशक (केन्द्रीय योजनाएँ)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2022–23/08 दिनांक 06.04.2022

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 15.03.2022 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 60/2022 दिनांक 16.03.2022, के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्रम	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	गत 13/01/2022 दिवसीय प्रबंध समिति बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की सम्पुष्टि पर विचार। प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य ने समिति को बताया कि 13 जनवरी 2022 दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय को अनुमोदनार्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रेषित किया गया है। अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् बैठक में लिए गए निर्णय का कार्यान्वयन कर अगली बैठक में सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रबंध समिति सर्वानुमति से पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय का संपुष्ट करती है।	प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 13.01.2022 की बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पत्र कमांक के.सं. वि./आदर्श /एम. सी/35011/ राजकुमारी/2021 –22/03 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से दी जा चुकी है।
02	कार्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु 25 जनवरी 2022 को हुई जाँच परीक्षा में मेधा सूचि (Merit List) से संबंधित बंद लिफाफा को खोल जाने तथा उसके क्रियान्वयन पर विचार।	नोट किया गया। साथ सूचनीय है कि परीक्षा

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	इस प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य द्वारा समिति के समक्ष कार्यालय सहायक के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु 25 जनवरी 2022 को हुई जाँच परीक्षा के उपरांत मेधा सूचि (Merit List) का बंद लिफाफा खोलने हेतु प्रस्ताव रखा गया। विचारोपरांत सर्वानुमति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मेधा सूचि (Merit List) से संबंधित बंद लिफाफा को समिति की प्रत्यक्ष बैठक में खोला जाए तथा इसके लिए शीघ्र ही अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रबंध समिति की प्रत्यक्ष बैठक बुलाई जाए।	**सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र प्रबन्ध समिति की अग्रिम बैठक में उपस्थापित किया जाये।**
03	**डॉ. ब्रजेश कुमार, पी.जी.टी. (अंग्रेजी) को 10 वर्षों की सेवा पूरी होने के उपरांत प्रथम एम.ए.सी.पी. का लाभ दिए जाने पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य द्वारा वित्त समिति के सदस्यों को बताया गया है कि डॉ. ब्रजेश कुमार, पी.जी.टी. (अंग्रेजी) इस विद्यापीठ में स्वीकृत पी.जी.टी. (अंग्रेजी) के पद पर 1 मार्च 2012 (मूल वेतन 9400–34800 एवं ग्रेड पे – 4800) से कार्यरत है तथा दिनांक 1 मार्च 2014 को इनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है। केंद्रीय सेवा के नियमानुसार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत प्रथम एम.ए.सी.पी का प्रावधान है। इस संबंध में वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा प्रथम एम.ए.सी.पी. का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**एम.ए.सी.पी के अन्तर्गत लाभ देने हेतु एम.ए.सी.पी रिव्यू कमेटी (MACP Review Commitee) का गठन निम्न प्रकार है:–** **1, प्राचार्य** (राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ) **2. प्रो. एस.वी.आर. मूर्ती,** सलाहकार, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली **3. श्री नवनीत चतुर्वेदी,** अनुभाग अधिकारी (परीक्षा विभाग), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली
04	**वित्तीय वर्ष 2000–2001 से 2020–2021 तक विद्यापीठ का तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार करवाने हेतु राजीव आर. मिश्रा एंड को 60,000 रूपये पारिश्रमिक शुल्क के भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकारी है– **वित्त समिति का निर्णय**	**नियमानुसार कार्यवाही की जाय।**

	" इस प्रस्ताव के संदर्भ में प्राचार्य ने वित्त समिति के सदस्यों को बताया कि चुकि सेवा से बर्खास्त पूर्व प्राचार्य डॉ अर्जुन चौधरी द्वारा अपने कार्यकाल में (1985 से अक्टूबर 2000 तक) का कोई भी अभिलेख तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य को सुपूर्द ना करने के कारण 2000–01 से 2020–21 तक का बैलेंस शीट (तुलन पत्र) बनना बाधित रहा है। पूर्व सी.ए. "संजय मनीष एंड एसोसिएट" को बारंबार आग्रह करने के बावजूद तुलन पत्र उनके द्वारा न बनाया गया, फलतः उक्त सीए "राजीव मनीष एंड एसोसिएट" को छोडना पडा है। वर्तमान सी.ए. राजीव आर.मिश्रा एंड को. के द्वारा पिछले 20 वर्षो का तुलन पत्र तैयार कराया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 का उपयोगिता प्रमाण पत्र (तुलन पत्र सहित) भी उन्हीं के द्वारा तैयार करवाया है। इस संबंध में पिछले बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। 2000–01 से 2020–21 तक तुलन पत्र तैयार कराने हेतु पारिश्रमिक शुल्क के रूप में रू 60,000 (साठ हजार रूपये) देना है जिसकी स्वीकृति प्राप्तव्य है। उक्त प्रसंग में विचारोपरांत सर्वानुमति से वित्त समिति प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपनी अनुंशसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	
05	**वित्तीय वर्ष 2021–22 के उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराने हेत रू 15,000 (पंद्रह हजार रूपये) तथा विद्यापीठ का 2021–22 का टी. डी.एस. फाईल कराने हेतु 6,000 (छह हजार रूपये) राजीव आर. मिश्रा को. को पारिश्रामिक शुल्क के भुगतान की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णण इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** " इस प्रस्ताव के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा वित्त समिति के सदस्यों को बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराने हेत रू 15,000 (पंद्रह हजार रूपये) तथा विद्यापीठ का 2021–22 का टी.डी.एस. लाईल (चार क्वार्टरस में) करने हेतु 1500 X 4 = 6,000 (छह हजार रूपये) सी.ए. को भुगतान करना पडेगा जिसकी स्वीकृति अनिवार्य है। विचारोपरांत समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**अनुमोदित।** **नियमानुसार कार्यवाही की जाय।**

06	**श्री हेमुत कुमार झा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रस्तुत 26 जनवरी 2022 दिवसीय पत्र के संबंध में राशि भुगतान करने हेतु स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णण इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा वित्त समिति के सदस्यों को बताया गया कि श्री हेमंत कुमार झा, अधिवक्ता (पटना उच्च न्यायालय) इस महाविद्यालय में 2000–01 से ही प्रबंधन की ओर से उच्च न्यायालय (पटना) में याचिकाओं की पैरवी करते रहे है। इस समय तीन एल.पी.ए. 823/18 (अर्जुन चौधरी द्वारा) 1654/18 (सी.एस.यू. नई दिल्ली द्वारा) एवं 1322/19 (प्रबंधन द्वारा) पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है। पिछले जनवरी माह में तीनों एल.पी.ए हियरिंग हेतु नंबर पर आया था और उक्त एल.पी.ए में श्री हेमंत कुमार झा जी के द्वारा जो हियरिंग किया गया जिसका बिल विपत्र दिनांक 26 जनवरी 2020 द्वारा रू 53,550 की राशि भुगतान हेतु आया था। पूर्व प्रचलित परंपरा के अनुसार NEFT के द्वारा उन्हें भुगतान कर सी.एस.यू. नई दिल्ली को राशि स्वीकृत्यर्थ एवं अनुदानार्थ मार्च 2022 के वाउचर में प्रेषित कर दिया गया है। समिति के समक्ष प्राचार्य द्वारा 26 जनवरी 2022 दिवसीय श्री हेमंत कुमार झा जी का बिल विपत्र को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रसंग में वित्त समिति विचारोपरांत प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णण को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।"**	**सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भुगतान करने हेतु अनुमोदित।**

भवदीय

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
प्रभारी अधिकारी, आदर्श

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2021–22/03 दिनांक 04.04.2022

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 13.01.2022 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 18/2022 दिनांक 13.01.2022 के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2022 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्रम संख्या	प्रस्ताव एवंसमिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत् 26-09-2021 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की संपुष्टि पर विचार।** इस प्रसंग में प्राचार्य द्वारा समुपस्थित मान्य सदस्यों के समक्ष 26.09.2021 में लिए गए निर्णय तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुमोदन को पढकर सुनाया गया। साथ ही उक्त संबंध में किए गए कार्यान्वयन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई। विचारोपरान्त सर्वानुमति से सदस्यों द्वारा 26.09.2021 दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय के प्राचार्य द्वारा किए गए कार्यान्वयन की संपुष्टि की गई।	नोट किया
02	**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा गठित समीक्षा समिति की 10.01.2022 दिवसीय बैठक में कृत समीक्षा तथा समर्पित समीक्षा प्रतिवेदन तथा कार्यान्व्यन की स्वीकृति पर विचार।** इस प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य ने बैठक में उपस्थित मान्य सदस्यों को सविस्तार बताया कि इस विद्यापीठ में स्वीकृत तथा रिक्त कार्यालय सहायक के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन करवाया गया था। तत्पश्चात् आगे की प्रक्रिया में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा गठित समीक्षा समिति की बैठक 10.01.2022 को सम्पन्न हुई जिसकी प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय अध्यक्ष (प्रबंध समिति) प्रो. कालिका दत्त झा द्वारा संचिका में प्राप्त अनुमति से अर्ह अभ्यार्थियों को 25.01.2022 को	**अध्यक्ष प्रबंध समिति नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। साथ ही परीक्षा संचालन सम्बन्धित प्रत्येंक सोपान**

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, REGISTRAR : 28520979, ACD : 28521948, ADMIN : 28524532, EXAM : 28521258, N.F.S.E. : 28524387,
MSP : 28523611, SCHEMES : 28520966, EMAIL : centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

	प्रस्तावित लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टाइपिग गति जांच परीक्षा हेतु निर्गत कर दिया गया है। साथ ही अनर्ह अभ्यर्थियों को भी निबंधित डाक द्वारा पत्र प्रेषित कर दिया गया है। विचारोपरान्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से समीक्षा समिति द्वारा समर्पित समीक्षा प्रतिवेदन एवं उक्त प्रतिवेदन के आलोक में किए गए कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तथा समिति आगे की कार्यवाही हेतु अध्यक्ष (प्रबंध समिति) को अधिकृत करती है।	**का पूर्ण विवरण प्रदान करें।**
03	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में "RAJEEV R MISHRA & CO. सनदीपाल के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार करवाने हेतु स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्यापीठ कार्यालय का वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनवाया है और इस कार्य के लिए सनदीपाल को अध्यक्ष से परामर्श कर प्रस्तावित किया गया है। विचारोपरान्त सर्वानुमति से समिति उक्त सनदीपाल द्वारा सत्र 2021–22 का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करती है।	**अनुमोदित।**

भवदीय

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
प्रभारी अधिकारी, आदर्श

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2021–22/677(A) दिनांक 01.12.2021

सेवा में,
प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 26.09.2021 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 146/2021 दिनांक 28.09.2021, के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2021 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्रम	प्रस्ताव एवं समिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत् 29/05/2021 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की संपुष्टि पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"एतद् प्रस्ताव के संदर्भ में वित्त समिति के मान्य सदस्यों के समक्ष प्राचार्य ने बताया कि संस्थान के 09/09/2021 दिवसीय पत्रांक के.सं.वि.एम/आदर्श/.सी./35011/राजकुमारी/202-12 414/2 द्वारा अनुमोदन पत्र प्राप्त हुआ था। इसे समिति के पटल पर प्राचार्य द्वारा स्थापित किया गया। विचारोपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से 29/05/2021 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्तावों का संस्थान की टिप्पणी के आलोक में प्राचार्य द्वारा किए गए क्रियान्वयन की संपुष्टि की गई।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	नोट किया
02	**विद्यापीठ में स्वीकृत रिक्त सहायक प्रोफेसर– विषय , व्याकरण (दो पद), सहायक प्रोफेसर– विषय , साहित्य एवं (एक पद) पी.जी.टी. संस्कृत)स्नातकोत्तर (एक पद) – (पर स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन करने हेतु स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"इस प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य जी ने समिति के मान्य सदस्यों को जानकारी दी कि विद्यापीठ में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सहायक प्रोफेसर -विषय -व्याकरण का दो, सहायक प्रोफेसर विषय - साहित्य का एक एवं पी.जी.टी. स्नातकोत्तर संस्कृत का एक पद रिक्त है। इस संबंध में उन्होंने*	

GENERAL ENQUIRY : 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC : 28523949, **REGISTRAR** : 28520979, **ACD** : 28521948, **ADMIN** : 28524532, **EXAM** : 28521258, **N.F.S.E.** : 28524387,
MSP : 28523611, **SCHEMES** : 28520966, **EMAIL** : centralsanskrituniversity@gmail.com, **WEBSITE** : www.sanskrit.nic.in

	18/02/1984 का मंत्रालय द्वारा निर्गत पद स्वीकृति पत्र भी सदस्यों के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत किया। प्राचार्य ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उक्त स्वीकृत पदों पर स्थाई नियुक्ति अनिवार्य है। फिलहाल व्याकरण विषय में एक एवं साहित्य विषय में एक अतिथि शिक्षक C.S.U. से स्वीकृति के पश्चात कार्य कर रहे हैं। *उपर्युक्त प्रसंग में विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से उक्त विषयों में वर्णित पदों पर स्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाने हेतु प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत्यर्थ अनुशंसा करती है।"* **प्रबंध समिति वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में सर्वानुमति से उपर्युक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने सम्बन्धी प्रक्रिया C.S.U. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने तथा दिशानिर्देश प्राप्ति के पश्चात् प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करती है।**	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एवं महाविद्यालय में रिक्त पदानुसार पदों के विज्ञापन हेतु विज्ञापन प्रारूप अनुमोदनार्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करें।
03	**विद्यापीठ में दैनिक पारिश्रमिक कर्मी को बिहार सरकार के अनुसार मानदेय राशि बढ़ाये जाने पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"इस प्रस्ताव के प्रसंग में प्राचार्य जी ने समिति के मान्य सदस्यों को बताया कि विद्यापीठ में दो दैनिक कर्मी श्री उमेश शाह एवं श्री शंभू कुमार चौधरी काम करते हैं। फिलहाल उन कर्मियों को C.S.U. नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रु.292 प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है। बिहार राज्य सरकार के संख्या-5-.डब्लू.एम/40/16/2021 श्र.सं-.1231 द्वारा अकुशल दैनिक कर्मी को रु.304 प्रतिदिन के हिसाब से 01/04/2021 से लागू है।* *इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति की अनुशंसा को प्रबंध समिति C.S.U, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।**	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दैनिक मजदूरी दर के आधार पर देने हेतु अनुमोदित।
04	**विद्यापीठ में *नामांकनादि* मद में छात्रछात्राओं द्वारा लिए जाने वाली राशि बढ़ाए जाने-की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** *"इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने वित्त समिति के समक्ष कहा कि विद्यापीठ में छात्रछात्राओं - द्वारा नामांकनादि में जो शुल्कराशि ली जाती है वह पिछले 10 वर्षों से लागू है। उनमें अंशत: बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस विषय में CSU, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्यों ने कहा कि C.S.U के परिसरों में जो लागू है उसे आप भी अपनी विद्यापीठ में लागू कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वानुमति से वित्त समिति C.S.U, नई दिल्ली के परिसरों में लागू नामांकनादि शुल्क को यहाँ भी लागू करने हेतु अनुशंसा करती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	शैक्षिणिक / परीक्षा विभाग, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त सुचनानुसार करने हेतु अनुमोदित।
05	अन्यान्य अध्यक्ष -महोदय की अनुमति से– (क) PGT अतिथि शिक्षक के मानदेय की राशि बढ़ाने पर विचार। एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का निर्णय इस प्रकार है–	

	वित्त समिति का निर्णय *"अध्यक्ष की अनुमति से प्राचार्य ने वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि विद्यापीठ में कार्यरत अतिथि शिक्षकों में दो श्रेणियाँ हैं – कुछ अतिथि शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करते हैं जिन्हें संस्थान के द्वारा 2021-22 सत्र के लिए रु. 40,000 मानदेय राशि निर्धारित की गई है ,वहीं PGT के पद पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक को रु. 20,000 निर्धारित की गई है। इस संबंध में प्राचार्य जी द्वारा कहा गया कि पूर्व में अतिथि शिक्षकों में, चाहे वे व्याख्याता के पद पर हो या PGT के पद पर, समान रूप से मानदेय राशि दी जाती रही है। अतएव इस संबंध में C.S.U द्वारा PGT अतिथि शिक्षक को जो रु.20,000 मानदेय राशि निर्धारित की गई है उसे बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस संबंध में विचारोपरांत वित्त समिति सर्वानुमति से C.S.U, नई दिल्ली से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु PGT अतिथि शिक्षक के उचित मानदेय की राशि बढ़ाने की अनुशंसा करती है।"* **उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।**	**30,000/–** रुपये प्रतिमाह नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करके देने हेतु अनुमोदित ।

भवदीय

01/12/2024

अनुभाग अधिकारी, आदर्श

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

क्रमांक के.सं.वि./आदर्श/एम.सी./35011/राजकुमारी/2021–22/414 दिनांक 08.09.2021

सेवा में,
प्राचार्य,
राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ,
कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा बिहार, पिन कोड–846003

विषयः–दिनांक 29.05.2021 को सम्पन्न, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, बिहार की प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 102/2021 दिनांक 02.06.21, के सन्दर्भ में सूचनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2021 को सम्पन्न प्रबन्ध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्रम	प्रस्ताव एवं समिति के निर्णय	के.सं.वि. टिप्पणी
01	**गत् 26/03/2021 दिवसीय बैठक में पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन की संपुष्टि पर विचार।** इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य जी ने प्रबंध समिति के सदस्यों को बताया कि कोविड-19 (कोरोना) की वजह से अभी तक मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात प्राप्त आदेश के आलोक में क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रकार प्रबंध समिति के सदस्यों ने सर्वानुमति से इस विषय में सहमति व्यक्त की।	नोट किया
02	**शैक्षिक सत्र 2021-22 में अतिथि शिक्षकों के रखे जाने की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 2 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "उपर्युक्त संदर्भ में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 2 का निर्णय निम्न प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** *इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को बताया कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त निम्नांकित पद –* *(i) सहायक प्रोफेसर (विषय - व्याकरण) - एक* *(ii) सहायक प्रोफेसर (विषय - साहित्य) - एक* *के पद पर मुख्यालय द्वारा आदेश मिलने के पश्चात विधिवत विज्ञापन के द्वारा उपर्युक्त दोनों विषयों में अंशकालिक व्यवस्था की गई थी और तब से प्रति शैक्षिक सत्र में*	शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति पृथक्तया प्रेषित की जा चुकी है।

	प्रक्रिया के तहत डॉ रमाकांत कुमार - व्याकरण (अंशकालिक) एवं डॉ बालकृष्ण शर्मा - साहित्य (अंशकालिक) कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यालय द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात दिसंबर-2018 में कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था की गई थी और उस पद पर श्री ब्रजेश कुमार चौधरी प्रति शैक्षिक सत्र मुख्यालय (CSU नई दिल्ली) द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य कर रहे हैं। संस्थान (CSU नई दिल्ली) के शैक्षिक कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार 07/06/2021 से कक्षाएं प्रारंभ होना है। अतः उपर्युक्त पदों पर व्यवस्था करना अपेक्षित है। इस प्रकार विचारोपरांत शैक्षिक समिति वित्त एवं प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत्यर्थ सर्वानुमति से अपनीइस संबंध में अनुशंसा करती है। उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतुअपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक एवं वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।	
03	**आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कार्यालय सहायक एवं एल.डी.सी. को शैक्षिक सत्र 2021-22 में रखे जाने की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 3 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "उपर्युक्त संदर्भ में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 3 का निर्णय निम्न प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** *इस संबंध में प्राचार्य द्वारा समिति के सदस्यों को बताया गया कि मंत्रालय द्वारा कार्यालय सहायक एवं एल.डी.सी. का 2 पद स्वीकृत है। वर्तमान में दोनों ही पद पर कार्य कर रहे कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिलहाल दोनों ही पद पर आउटसोर्सिंग के तहत कार्यालयीय कार्यों का संपादन कराया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2021-22 में भी एतदर्थ स्वीकृति की आवश्यकता है। कार्यालय कार्य बाधित ना हो अतः उक्त पद पर 2 दिनों का व्यवधान देते हुए स्वीकृति अपेक्षित है। उपर्युक्त प्रसंग में समिति सर्वानुमति से विचारोपरांत वित्त एवं प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।* उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतुअपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक एवंवित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	**आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति पृथक्तया प्रेषित की जा चुकी है।**

04	**मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पी.जी.टी. (संस्कृत) एम.ए. के पद पर अंशकालिक व्यवस्था की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या4का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "उपर्युक्त संदर्भ में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 4 का निर्णय निम्न प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** *इस विषय में प्राचार्य द्वारा शैक्षिक समिति के सदस्यों को बताया गया कि पी.जी.टी.(संस्कृत) यह पद मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है और इस पद पर डॉ. रत्ना राय 28 जनवरी 1986 से कार्य कर रही थी। 31 मार्च 2021 को वेसेवानिवृत्त हो गई हैं। अतः यह स्वीकृत पद रिक्त है। तत्काल इस पद पर अंशकालिक व्यवस्था होना छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित है। विचारोपरांत समिति सर्वानुमति से वित्त एवं प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।* उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतुअपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक एवंवित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	**शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति पृथक्तया प्रेषित की जा चुकी है।**
05	**सत्र 2021-22 में विद्यापीठ के स्थायी परीक्षा संबंधन पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 5 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "उपर्युक्त संदर्भ में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 5 का निर्णय निम्न प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** *इस संबंध में प्राचार्य ने बताया कि विद्यापीठ का परीक्षा संबंधन प्रारंभ से ही राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (पूर्व में) से रहा है। अब जब उक्त संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्वरूप प्राप्त कर लिया है तो इस विद्यापीठ को स्थायी परीक्षा संबंधन प्राप्त होना चाहिए। इस विषय में विचारोपरांत समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत्यर्थ अपनी अनुशंसा करती है।* उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतुअपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक एवं वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसा करती है।	**प्रस्ताव कुलपति महोदय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली को प्रेषित करें ।**

06	**विद्यापीठ के खाता संख्या 0142101008356 में द्वितीय हस्ताक्षरी के रूप में डॉ. भूपेंद्र नारायण झा का नाम संप्रविष्ट करने की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या6का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य जी ने बताया कि आदर्श योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार विद्यापीठ के बैंक खाता संचालन हेतु दो वरिष्ठ शिक्षकों का नाम द्वितीय हस्ताक्षरी के रूप में होना चाहिए ।पूर्व में डॉ. रत्ना राय एवं डॉ. त्रिलोक नाथ झा में किसी एक के हस्ताक्षर तथा प्राचार्य के हस्ताक्षर से खाता संख्या 0142101008356 (केनरा बैंक, दरभंगा) का संचालन होता था। चूँकि डॉ. रत्ना राय 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। अतः उनके स्थान पर डॉ. भूपेंद्र नारायण झा (सहायक प्रोफेसर – ज्योतिष) का नाम उक्त खाते में संप्रविष्ट करना आवश्यक है। इस विषय में समिति विचारोपरांत सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	**यथाप्रस्तावित अनुमोदित।**
07	**31/10/2020 दिवसीय प्रबंध समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 09(1) के आलोक में श्री रवि रंजन कुमार पिता श्री अर्जुन चौधरी को दिए गए पत्र से संबंधित विषय पर विचार।** इस प्रस्ताव के विषय में प्राचार्य जी द्वारा समिति के सदस्यों को सविस्तार बताया गया कि 31/10/2020 को हुई प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या-9(01)के आलोक में लिए गए निर्णय एवं मुख्यालय द्वारा प्राप्त अनुमोदन के पश्चात श्री रवि रंजन कुमार, पिता - श्री अर्जुन चौधरी कालीस्थान लहेरियासराय दरभंगा को कार्यालयीय पत्रांक 52/2021 दिनांक 17/03/2021 के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा अपेक्षित जानकारीमांगी गई थी। किंतु आज तक उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी जानकारी (अभिलेखादि) नहीं दी गई है। इस प्रसंग में प्राचार्य ने उक्त पत्रका कार्यालयीय प्रति भी समिति के सदस्यों को दिखाया। अतः इस संबंध में प्रबंध समिति सर्वानुमति से निर्णय लेती है कि जब तक उनके द्वारा (श्री रवि रंजन कुमार) द्वारा अपेक्षित कागजात जो परिचायक बने सके उपलब्ध नहीं कराते तब तक इस विषय को स्थगित रखा जाए।	**नोट किया**
08	**परिसर विकास हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 7 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "इस प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य जी ने समिति के सदस्यों को बताया कि प्रतिवर्ष परिसर विकास हेतु मुख्यालय द्वारा पाँच लाख रुपएदिए जाते रहे हैं और उससे विद्यापीठ में बहुत कार्यों का संपादन हुआ है। इस प्रकार समिति विचारोपरांत वर्तमान सत्र 2021-22 के लिए भी प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	**वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनावर्ती मद में राशि की स्वीकृति हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर बाद में विचार किया जायेगा।**

09	**शैक्षिक सत्र 2021-22 में सेमिनार आयोजन हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 9 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "उपर्युक्त संदर्भ में शैक्षिक समिति के प्रस्ताव संख्या 6 का निर्णय निम्न प्रकार है– **शैक्षिक समिति का निर्णय** *एतत् प्रस्ताव के संबंध में प्राचार्य जी ने सेमिनार के आयोजन से अध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं के प्रतिभा क्षमता में स्वभावतः अभिवर्द्धन होता है तथा इसके माध्यम से निर्दिषयमान विषय में अन्वीक्षा तथा गवेषणा की सम्यक् प्रवृत्ति बनती है। अतः विचारोपरांत इस विषय में शैक्षिक समिति वित्त एवं प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपनी अनुशंसा करती है।* उपर्युक्त शैक्षिक समिति के निर्णय को वित्त समिति सर्वानुमति से प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतुअपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त शैक्षिक एववित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सेमिनार मद में राशि की स्वीकृति हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर बाद में विचार किया जायेगा।
10	**पुस्तकालय में पुस्तक क्रय हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार।** एतद् प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या 8 का निर्णय इस प्रकार है– **वित्त समिति का निर्णय** "वित्त समिति सर्वानुमति से पुस्तकालय हेतु पुस्तक कृयार्थ पचास हजार रुपए की राशि प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृति हेतु सर्वानुमति से अपनी अनुशंसा करती है।" उपर्युक्त वित्त समिति के निर्णय को प्रबंध समिति सर्वानुमति सेस्वीकृति प्रदान करते हुएसंस्थान द्वारा अनुमोदनार्थ अपनीअनुशंसा करती है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पुस्तक क्रय मद के अन्तर्गत राशि की स्वीकृति हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर बाद में विचार किया जायेगा।

भवदीय

08/09/2021

प्रभारी, आदर्श